

FORM No. II
फर्द अहकाम
(नियम 26)

2023/149

राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अज अदालत.....मुकाम.....
.....भरतलाल वगै०.....बनाम.....मोती वगै०.....
किस्म मुकदमा.....राज० काश्तकारी अधि० 1955 अन्तर्गत धारा 225.....नं.....53.....सन्.....2023.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	------------------------------------	---

21.07-23



पत्रावली बाद जाँच रिपोर्ट आज पेश हुई। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। दर्ज रजिस्टर की जावे।

अपीलाण्ट अधिवक्ता श्री सतीश कुमार शर्मा उपस्थित। उनके द्वारा यह अपील अदालत मातहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर में दायर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, मुकदमा नंबर 214/22 बउनवान मोती वगैरह बनाम गिर्राज वगैरह में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 25.04.2022 से मियाद बाहर पेश की गई।

अपीलाण्ट द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत अदालत मातहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर के अन्तरिम आदेश दिनांक 25.04.2022 के विरुद्ध पेश की गई, जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण, दिनांक 12.05.2022 तक इस कदर जारी की गई कि वे भूमि खसरा नंबर 1954 रकबा 0.16 है०, 1955 रकबा 0.23 है०, 1978 रकबा 0.05 है०, 1981 रकबा 0.10 है०, 1980 रकबा 0.24 है०, 1981 रकबा 0.20 है०, 1982 रकबा 0.15 है०, 1983 रकबा 0.20 है०, 1984 रकबा 0.07 है०, 1985 रकबा 0.10 है०, 1986 रकबा 0.50 है०, 1987 रकबा 0.18 है०, 2019 रकबा 0.05 है०, 2020 रकबा 0.05 है०, 2021 रकबा 0.12 है०, 2022/6435 रकबा 0.19 है०, 908 रकबा 0.20 है०, 909 रकबा 0.21 है० कुल खसरा 18 कुल रकबा 3.00 है० स्थित उदेई खुर्द तहसील वजीपुर मे अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करते हुए, आगामी दिनांक तक मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। मातहत अदालत के इस आदेश से व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा अपील न्यायालय हाजा में मियाद बाहर प्रस्तुत की गई।

अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर



अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्टस/अप्रार्थीगण को सुनवाई का कोई समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा रेस्पोंडेन्ट्स की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर उक्त आदेश विधि विपरीत जाकर तथा सिविल प्रक्रिया संहिता में दिये गये प्रावधानों की अनदेखी कर आदेश 39 नियम 3 की पालना किए बगैर पारित किया है। अतः अदालत द्वारा बिना कोई उचित कारण दर्शाये ही सायलान को बार बार तलवाना पेश करने का समय दिया जाता रहा है तथा अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 25.04.2022 को लगातार आगामी पेशी तक बढ़ाया जाता रहा है। जबकि न्यायालय द्वारा सायलान द्वारा तलवाना पेश नहीं करने के कारण स्थगन आदेश को किसी भी रूप से बढ़ाया जाना न्यायोचित न होकर अवैधानिक है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 25.04.2022 को अपास्त फरमाया जावे।

अपील के साथ अपीलाण्टगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम भी पेश किया। प्रार्थना पत्र दफा 05 मियाद अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि उक्त आदेश एकतरफा में अप्रार्थीगण को बिना सुने दिया गया है। दिनांक 19.01.2023 को पुनः सायलान द्वारा तलवाना पेश करने के लिये चाहा। इसके बावजूद दिनांक 26.02.2023 तक सायलान द्वारा उक्त पत्रावली में कोई तलवाना पेश नहीं किया गया। जिस पर दिनांक 27.02.23 को अपीलांट भरतलाल ने उक्त प्रकरण के संपूर्ण ऑर्डर शीट की नकले प्राप्त की तथा सायलान द्वारा तलवाना पेश नहीं किये जाने से एवं प्रकरण को लंबा किये जाने की नियत की जानकारी 27.02.23 को आर्डर शीट की नकल मिलने पर हुई। अतः देरी की अवधि को कण्डोन किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है। अतः अपील हाजा को अंदर मियाद फरमाया जावें।

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दफा 05 मियाद अधिनियम की एकपक्षीय बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपील अपीलाण्ट स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम को अपीलाण्ट द्वारा सशपथ सत्यापित किया है। विभिन्न माननीय न्यायालयों में मियाद बिन्दु के बारे में नरम रूख अपनाने के निर्देश

देते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि वाद को

अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर



गुणावगुण के आधार पर, न कि तकनीकी आधार पर निपटाया जाना चाहिए। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाता है।

मुख्य बहस में अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा आलोच्य निर्णय पारित करते समय तीन तथ्यों प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति का विवेचन नहीं किया गया। अपीलान्टान के अधिकारों का हनन किया गया है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्टस/अप्रार्थीगण को सुनवाई का कोई समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा रेस्पोजेन्ट्स की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर उपरोक्त उक्त आदेश विधि विपरीत जाकर तथा क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार करते हुए तहत अदालत द्वारा पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त करने के आदेश दिनांक 25.04.2022 को अपास्त किया जावे।

हमने अधिवक्ता अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया और अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 25.04.2022 का अवलोकन किया गया।

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की पूर्ण पीठ के निर्णय रिविजन/एसआर/9867/2012/नागौर निर्णय दिनांक 12.03.2014 द्वारा एक राजस्व न्यायालय को एकपक्षीय या अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधि0 1955 में सक्षमता के बारे में विस्तृत विवेचन किया गया है। इस विवेचन के अनुसार एक राजस्व न्यायालय को, अपवादस्वरूप स्थिति में, एकपक्षीय या अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने की सक्षमता, राज0 काश्तकारी अधि0 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत है, यदि प्रथम दृष्टया, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के तीन महत्वपूर्ण घटक प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित पाये जाते हैं।

द्वितीय; महत्वपूर्ण बिन्दु कि क्या ऐसे आदेशों की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी को धारा 225 राज0 काश्तकारी अधि0 1955 के अन्तर्गत ग्रहण करने की सक्षमता है? इसके विवेचन में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत जारी किये गये एकपक्षीय या अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेशों को सुनने की क्षेत्राधिकारिता है, परन्तु आगामी पेशी तक प्रभावी रहने वाले आदेशों के लिये नहीं है।

इस बाबत माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा निम्नलिखित मार्गदर्शन परीक्षण न्यायालय हेतु जारी किये गये हैं—

जिला प्राधिकारी
जायपुर



1. प्रथम तो परीक्षण न्यायालयों को ऐसे आदेश जारी करने से बचना चाहिए, परन्तु परिस्थितियों की माँग है तो, धारा 212 के तीनों घटकों की विद्वतापूर्ण परीक्षण करने पर यदि प्रकरण पाया जाता है तो जारी किया जाना चाहिए।

2. यदि ऐसा प्रकरण पाया जाता है कि एक पक्षीय या अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना अत्यन्तावश्यक है तो यह स्वस्पष्ट व तार्किक होना चाहिए और एक माह की अवधि में निस्तारित किया जाना चाहिए।

3. परीक्षण न्यायालय को ऐसे आदेशों की सूचना अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाने का प्रावधान बाध्यकारी है।

4. परीक्षण न्यायालयों के लिए यह बाध्यकारी है कि अस्थाई निषेधाज्ञा के ऐसे आदेश जो एकपक्षीय आदेश आदेश 39 नियम 3ए सीपीसी के तहत दिये गये हैं, उनको 30 दिवस की अवधि में निस्तारित किया जाना चाहिए।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। मुख्य बहस पर मनन किया गया।

मातहत अदालत की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर आया कि अप्रार्थीगण को कोई सम्मन/सूचना दिए बिना, व सुनवाई का अवसर दिए बिना ही उक्त निर्णय पारित किया है, जो विधि विपरीत है।

प्रथम:- अदालत मातहत की आदेशिका दिनांक 25.04.2022 में रिकार्डेड खातेदार के विरुद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करते समय अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के 03 घटक; प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के बारे में किसी भी प्रकार का विवेचन किए बिना ही अंतरिम आदेश पारित किया है जो विधि विपरीत है।

द्वितीय:- अदालत मातहत की आदेशिका के अवलोकन से जाहिर है कि एकपक्षीय आदेश जारी करने के पश्चात अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड तलवी सम्मन जारी किया जाने के विधिक प्रावधान है परन्तु एक वर्ष बाद भी रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किए गए जो अविधिक है।

तृतीय:- अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है। अदालत मातहत के मुकदमा नंबर 214/22 बउनवान मोती वगैरह बनाम गिराज वगैरह में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 25.04.2022 में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश को प्रचलन से स्थगित किया जाता है।

अदालत मातहत को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभय पक्षों को 'सुनवाई का युक्तियुक्त' अवसर प्रदान करते हुए निर्धारित समय/अवधि में निस्तारण करें। निर्णय की एक प्रमाणित प्रति अदालत मातहत को प्रेषित की जावे।

जस्व अपील प्राधिकारी
सुनवाई माधोपुर

पत्रावली को इसी स्तर पर निस्तारण किया जाकर दाखिल दफ्तर
किया जावें।

आदेश आज दिनांक 31.07.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।



DL
31-7-23
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर